

डिक्री बमुकदमें ईबादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 191/2025

1. सुखमन सिंह पुत्र श्री गुरसेवक सिंह पौत्र श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. गुरप्रीत सिंह पुत्र श्री मनदीप सिंह पोत्र श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह पोत्र श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. मनदीप सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह पोत्र श्री चन्द सिंह निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. सुखप्रीत कौर पुत्री श्री गुरसेवक सिंह पौत्री श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. अनमोल कौर पुत्री श्री मनदीप सिंह पौत्री श्री जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. ओ.पी.सी. बैंक (वर्तमान पंजाब नेशनल बैंक) शाखा दीनगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया

—प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री हनुमन्त चौधरी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री विवेकानन्द गुजर वकील प्रतिवादी संख्या 1 तः 4 व प्रतिवादी सं. 5 रविन्द्र भोबिया मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 4 एचआरपी खाता संख्या 60/45 ज.स. 2071-74 व चक 2 एसटीपी खाता संख्या 34/8 जमाबन्दी सम्बन्धित 2070-2073 एव इसी चक 2 एसटीपी खाता संख्या 34/8 ज.स. 2070-73 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को निम्नानुसार आराज़ी का खातेदार काश्तकार घोषित कर इनका खाता निम्नानुसार अलग कायम कर इसी अनुसार हिस्सा कम/ज्यादा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

(क). वादी सं. 1 सुखमन सिंह के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण:-

चक 4 एच.आर.पी. खाता सं. 60/45 ज.स. 2071-74

प.न.	मु.न.	कि.न.
184/114	48	13,18,22,23/0.253 है.प्र.,
184/115	53	3,4/0.253 है.प्र., 7/0.190 है., नहरी 1.708 है., कुल 1.708 है. अर्थात् 06 बीघा 15 बिस्वा

(ख). वादी सं. 2 गुरप्रीत सिंह के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण:-

चक 4 एच.आर.पी. खाता सं. 60/45 ज.स. 2071-74

प.न.	मु.न.	कि.न.
184/115	53	1,2,9,10,11,12/0.253 है.प्र., 20/0.190 है., नहरी 1.708 है., कुल 1.708 है. अर्थात् 06 बीघा 15 बिस्वा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

.....2



प्रतिवादी सं. 1 गुरसेवक सिंह के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण-
चक 4 एच.आर.पी. खाता सं. 60/45 ज.स. 2071-74

प.न.	मु.न.	कि.न.
184/115	53	7/0.063 है, 8,13,14/0.253 है प्र. 18/1/0.190 है, 23/1/0.127 है,
185/115	54	7,14/0.253 है प्र. 15/1/0.228 है, 15/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, 16/1/0.228 है, 16/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, 17,24/0.253 है प्र. 25/1/0.228 है, 25/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता, नहरी 2.835 है, + 0.075 है. गै.मु. रास्ता, कुल 2.910 है. अर्थात 11 बीघा 10 बिस्वा

चक 2 एस.टी.पी. खाता सं. 30/153

प.न.	मु.न.	कि.न.
187/119	26	5/1/0.114 है, 5/2/0.013 है. गै.मु. रास्ता, 6/1/0.114 है, 6/2/0.012 है. गै.मु. रास्ता,
188/119	25	9/1/0.126 है, 10/2/0.124 है, नहरी 0.481 है, + 0.025 है. गै.मु. रास्ता, कुल 0.506 है. 02 बीघा दोनो खातो की कुल 3.416 है. अर्थात 13 बीघा 10 बिस्वा

(घ) प्रतिवादी सं. 2 मनदीप सिंह के कब्जा काश्त की भूमि का विवरण-
चक 4 एच.आर.पी. खाता सं. 60/45 ज.स. 2071-74

प.न.	मु.न.	कि.न.
184/115	53	19/0.253 है, 20/0.063 है, 21,22/0.253 है प्र., 23/1/0.063 है, नहरी 0.8855 है, कुल 0.8855 है. अर्थात 03 बीघा 10 बिस्वा

चक 2 एस.टी.पी. खाता सं. 34/8 ज.स. 2070-73



प.न.	मु.न.	कि.न.
186/119	27	16/1/0.228 है, 6/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 17,18,19,20/0.253 है प्र., 24/1/0.215 है, 24/2/0.038 है. गै.मु. रास्ता, 25/1/0.190 है, 25/2/0.025 है. गै.मु. खाला, 25/3/0.038 है. गै.मु. रास्ता, नहरी 1.645 है, + 0.076 है. गै.मु. रास्ता, + 0.050 है. गै.मु. खाला, कुल 1.771 है. अर्थात 07 बीघा

चक 2 एस.टी.पी. खाता सं. 30/153 ज.स. 2070-73

प.न.	मु.न.	कि.न.
187/119	26	4,7/0.253 है प्र., 5/1/0.114 है, 5/2/0.012 है. गै.मु. रास्ता, 6/1/0.114 है, 6/2/0.013 है. गै.मु. रास्ता, नहरी 0.734 है, + 0.025 है. गै.मु. रास्ता, कुल 0.759 है. 03 बीघा तीनो खातो की कुल 3.415 है. अर्थात 13 बीघा 10 बिस्वा

नोट:- वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुंख्लिक निल बाबत् निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.6.2020 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

उपखण्ड अधीक्षक, जयपुरी, गंगारिया
संगरिया